

IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

P.S-91/2015

KARU RAI & OTHERS.....PLAINTIFFS

Vs.

AMIRA RAI & OTHERS.....DEFENDANTS

ORDER

04.03.22 पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी की ओर से एक प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-1 अमीरा राय की मृत्यु दिनांक- 19.01.22 को हो चुकी है, जिनके सभी विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन पर मौखिक सहमति जताई गई है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का प्रतिस्थापन आवेदन शपथ-पत्र से समर्थित है एवं समय-सीमा के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में स्वीकृत की जाता है। कार्यालय तदनुसार प्रतिवादी सं०-1 के विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करे। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षाएं दाखिल करें।

दिनांक- 06.05.2022 वास्ते करने दाखिल सम्मन की अपेक्षाएं।

अवर न्यायाधीश

M 06/05/22